

कार्यवाही विवरण

अनुपालना के क्रमांक व दिनांक

6/2/19

पत्रावली पेश हुई। वहील वादी अनुकूल वादी एवं वहील वादी को बार-बार-बार शक शक कर अज्ञान भागवत गई, परन्तु वादी शरण एवं वहील वादी उपस्थित न्यायालय नहीं होने से बाहर होना है कि वादी एवं वहील वादी को दावे में शक्ति नहीं है। अतः वाद वादी अदम्य राजसी एवं हादमा पेशी से खतीजू किया जाता है। पत्रावली केवल अग्रिम लेकर दर्ज नम्बर से चला हो तथा बाद लक्ष्मील जाया दखिल वफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनया गया। (क 36-12-19)

M. L. Sharma
 उपसहय अधिकारी
 नवलपरा

